संख्या-22/2017-739/चौदह-4-2016-21(बजट)/2017

प्रेषक,

हलधर प्रसाद मिश्रा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 17 मई, 2017**

विषय- आर0आई0डी0एफ0-20 के अन्तर्गत उ0प्र0 के 18 जनपदों की वनावरण सम्बर्द्धन परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पॉच माह (अप्रैल,2017-18 से अगस्त, 2017 तक) हेतु लेखानुदान द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 482.26 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-1258/36-टी-114/2017-18 दिनांक 27.04.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-60- के अन्तर्गत ''आर0आई0डी0एफ0-20 के अन्तर्गत उ0प्र0 के 18 जनपदों की वनावरण सम्बर्धन परियोजना'' के वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु लेखानुदान द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 482.26 लाख (रू0 चार करोड़ बयासी लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक	**आय-व्ययक प्राविधान**	**स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या-60		
पूंजी लेखाशीर्षक के लेखाशीर्षक		
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-		
01-वानिकी		
102-समाज तथा फार्म वानिकी		
12-वनावरण सम्वर्द्धन परियोजना (सी0सी0एल0 प्रणाली)		

24-वृहत निर्माण कार्य	106175	44240
42-अन्य व्यय	9568	3986
	115743	**48226**

(रूपये चार करोड़ बयासी लाख छब्बीस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयीं मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नाबार्ड की शर्तो तथा विभागीय निदेशों के आधीन नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में विचलन नही किया जायेगा।

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नाबार्ड द्वारा अनुमोदित कार्यमदो के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन एवं नाबार्ड को उपलब्ध कराया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात उसकी प्रतिपूर्ति नाबार्ड से यथा शीघ्र प्राप्त की जायेगी।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- स्वीकृति धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं-0पी 18-2017/114-टी-36/1258-दिनांक 27.04.2017 में उल्लिखित कार्यमदों में ही धनराशि का व्यय किया जाय।

9- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

2- वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या 2017/231-2017-दस/348-1-बी/2017/3-दिनांक मार्च 20, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव।

संख्या-739(1)/चौदह-4-2016-21(बजट)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-3
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव।